रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 25, 2004/कार्तिक 3, 1926
No. 921] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2004/KARTIKA 3, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2004

आय-कर

का.आ. 1180(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(अ) भाग 2 में, नियम 6 में,—

(क) उपनियम (5) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ऐसे किसी अधिकारी को जो उपसचिव से निम्न पंक्ति का न हो उसके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।"

(ख) उपनियम (7) के खंड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपनियम (5) के अधीन विहित प्राधिकारी जो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, महानिदेशक (आय-कर से छूट) को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;";

(आ) परिशिष्ट 2 में,—

(क) प्ररूप सं. 3गज में,—

(i) "(विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(हस्ताक्षर)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित टिप्पण अंत में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—

1. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की दशा में, इस प्ररूप पर यथास्थिति, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2. विनिर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस प्ररूप पर ऐसे अधिकारी द्वारा जो उपसचिव से निम्न पंक्ति का न हो, और जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा ऐसा आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया तो, हस्ताक्षर किए जाएंगे।";

(ख) प्ररूप सं. 3गज में,

(i) "(विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(हस्ताक्षर)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित टिप्पण अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—

1. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की दशा में, इस प्ररूप पर यथास्थिति, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2. विनिर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस प्ररूप पर ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उपसचिव से निम्न पंक्ति का न हो, और जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्ररूप सं. 3गज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर किए जाएंगे।"।

[अधिसूचना सं. 267/2004/फा. सं. 149/76/2004-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2004 द्वारा अधिसूचना का.आ. सं. 1067(अ) तारीख 29-9-2004 के तहत किया गया है।